संख्या- 01 /2019/आर-428/38-1-2019-3509/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2019

विषयः- जनपद-गोरखपुर के नवसृजित विकास खण्ड भरोहिया हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-जी0ओ0-321/स्था0-2/2018, दिनांक 13.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गोरखपुर के नवसृजित विकास खण्ड **"भरोहिया"** के संचालन हेतु निम्नानुसार विभिन्न श्रेणी/प्रकृति के कुल 09 अस्थायी पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	पदनाम	मैट्रिक्स लेबल	मैट्रिक्स लेबल में वेतनमान (रू0 में)	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	खण्ड विकास अधिकारी	10	56100-177500	01	-
2	सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0)	5	29200-92300	01	-
3	सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)	6	35400-112400	01	-
4	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	6	35400-112400	01	-
5	अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई)	6	35400-112400	01	-
6	कनिष्ठ सहायक	3	21700-69100	01	-
7	सहायक लेखाकार (आई0आर0डी0-1पुल्ड-2)	5	29200-92300	01	-
8	जीप चालक	-		01	वाहन चालक एवं स्वीपर कम चपरासी के पद को सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भरा जायेगा।
9	स्वीपर कम चपरासी	-		01	
	योग			09	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त सृजित पद उपयोग में लाये जाने की तिथि से अथवा इस आदेश के जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2020 तक के लिए इस शर्त के साथ सृजित किये जा रहे है कि वे पद निर्दिष्ट तिथि के पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।

4- सृजित पदधारकों को उनके संगत वेतनमानों में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो अनुमन्य हो, देय होंगे तथा उक्त पद संबंधित संवर्ग के संबंधित पदों में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

5- सृजित पदों पर भर्ती/पदोन्नति संबंधित नियमावली, जो तत्समय लागू होगी, के अधीन की जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13-लेखा शीर्षक "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102- सामुदायिक विकास-03- मुख्य अधिष्ठान" के सुसंगत मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-2- 381/दस-2019, दिनांक 30 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 01/2019/ आर-428 (1)/38-1-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नियोजन विभाग/पंचायतीराज विभाग/वित्त विभाग/सहकारिता विभाग/ लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(6) निदेशक पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक आर्थिक बोध एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) निबन्धक सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) निदेशक आन्तरिक (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।
(10)निदेशक वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(11)समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
(12)वित्त वेतन (आयोग) अनुभाग-2 /वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(13)गार्ड फाइल।

भवदीय,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।